

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आर० एम० वाद सं०-153 / 2018-19

अभिलेख उपस्थापित :- अंचल अधिकारी, तमाड़ का पत्रांक-298(ii) दिनांक-12/06 / 2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हैं। अभिलेख के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है।


1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम बलराम महतो वो नेतु महतो पेशरान रूपा महतो है।
2. विक्रेता खतियानी रैयत/पंजी-II रैयत के पोता है।
3. पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम बलराम महतो वो नेतु महतो पेशरान रूपा महतो है, तथा रैयत के पास कुल 4.49½ एकड़ भूमि है।
4. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2009-10 तक वसूली गयी है।
5. खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।
6. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन घरबाड़ी किस्म की है।
7. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को लड़की की शादी हेतु विक्री कर रहे हैं।
8. हल्का कर्मचारी के अनुशंसा अनुसार आवेदकगण जमाबन्दी/खतियानी रैयत का पोता है। क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य है एवं एक ही जिला के निवासी है, क्रेता एवं विक्रेता के निवास एवं जाति के साक्ष्य जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानिय प्रमाण पत्र संलग्न किया है। R.S खतियान मे खाता नं०-18, प्लॉट नं०-211, रकबा-0.41 ए० बलराम महतो वो नेतु महतो पेशरान रूपा महतो कौम -कुरमी दर्ज है। आवेदक द्वारा संलग्न वंशावली के अनुसार भूमि के अन्य हिस्सेदार भी है। जिनका बंटवारानामा या अनापति से संबंधित कागजात आवेदक के द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। इस स्थिति में विक्री हेतु अनुमति देना उचित प्रतित नही होता है।
9. अंचल अधिकारी के अनुशंसा अनुसार हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में भूमि बिक्री की अनुमति नही दी जा सकती है।


अंचल अधिकारी, तमाड़ के पत्रांक-298(ii) दिनांक-12/06/19 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विक्री हेतु अनुमति वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
कोकाडीह	तमाड़/238	18	211	12.25 डी०

लेखापित एवं संशोधित।


02/07/19
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)


02/07/19
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)